प्रपत्र– 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारती से रीमा तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 05/01/2018 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मान सिंह कोरंगा......... राजस्व विभाग की ओर से श्री गौतम सिंह.......... प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री गजेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता एवं श्री सतीश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता** द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 0.00 है0, सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.315 हे0, वन पंचायत भूमि 1.225हे0 एवं नापभूमि 2.660 हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ......जारती, पपोली एवं किरौली जिसमें 1641 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में.....98.....वृक्षों व नापभूमि 00..........वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो)..

....

....

जिलाधिकारी
बागेश्वर

ह0/–	ह0/– राजस्व उप निरीक्षक	ह0/–
	क्षेत्र ....तहसील ....र	
(प्रयोक्ता एजेन्सी)	(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)	(वन विभाग का प्रतिनिधि)
अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट (बागेश्वर)	सहायक अभियन्ता नि0 ख0 लो0 नि0 वि0 कपकोट	वन क्षेत्राधिकारी धरमघर वन क्षेत्र बागेश्वर वन प्रभाग
ह0/–	ह0/–	
(जिलाधिकारी)	(प्रभागीय वनाधिकारी)	उप प्रभागीय वनाधिकारी
	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	
उपजिलाधिकारी		
ह0/–		ह0/–
(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)	तहसीलदार	(ग्राम प्रधान/ वन पंचायत सरपंच)